

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सार		vii-x
अध्याय-I		
प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1
ग्रामीण जल आपूर्ति	1.2	2-3
शहरी जल आपूर्ति	1.3	3-5
जल आपूर्ति में शामिल विभाग/संस्थाएं	1.4	5-6
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.5	6-7
लेखापरीक्षा मानदंड	1.6	7
लेखापरीक्षा का दायरा एवं पद्धति	1.7	7-8
लेखापरीक्षा परिणामों का व्यवस्थापन	1.8	8
अध्याय-II		
अपर्याप्त योजना		
राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप नीतियों/योजनाओं को तैयार करना	2.1	9-10
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार करना	2.2	11
शहरी क्षेत्रों में योजना	2.3	11-12
शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत संस्थाओं के लिए पानी की आवश्यकता का आकलन न करना	2.4	12
संचालन एवं रखरखाव योजना तैयार करना	2.5	13-14
जल सुरक्षा कार्य योजना तैयार करना	2.6	14-15
नियोजित/निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्ति	2.7	15-19
वाटर वर्क्स के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त न करने के कारण अक्रियाशील योजनाएं	2.8	19
अध्याय-III		
अनुचित वित्तीय प्रबंधन		
वित्त का ओवरव्यू	3.1	21
बजट और व्यय	3.2	21-23
योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में विभागीय प्रयासों का अभाव	3.3	23-24
₹ 278.20 करोड़ की राशि के जल प्रभारों की अवसूली	3.4	24-26
सामुदायिक अंशदान का संग्रह	3.5	26-27
राज्य का अंश विलंब से जारी करना	3.6	27
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन में केंद्रीय और राज्य निधियों को जारी करना और उनका उपयोग करना	3.7	27-29
समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा न करने के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त देयता	3.8	29-30
अध्याय-IV		
पानी की अपर्याप्त आपूर्ति		
आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा का आकलन	4.1	31-32
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति की स्थिति	4.2	32-34

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
रेवाड़ी शहर की केस स्टडी	4.3	34-36
कुछ विशिष्ट प्रणालीगत मुद्दे	4.4	36-38
मीटर कनेक्शन का प्रावधान	4.5	38-40
जल लेखापरीक्षा का आयोजन	4.6	40
वितरण प्रणाली में लीकेज के कारण गैर-राजस्व जल का उत्पादन	4.7	40-41
पम्पिंग मशीनरी की हिस्ट्री शीट से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव न करना	4.8	41
अध्याय-V		
आपूर्ति किए गए पानी की खराब गुणवत्ता		
आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता का आकलन	5.1	43-46
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांच किए गए पानी के नमूनों का विश्लेषण	5.2	46-47
विफल नमूनों की पुनःजांच के लिए तंत्र का अभाव	5.3	47-48
योजनाओं को शुरू करने से पहले स्रोत का परीक्षण	5.4	48-49
प्रयोगशाला अवसंरचना	5.5	49-53
समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के मापदंडों के अनुसार पानी के नमूने का परीक्षण न करना	5.6	53-54
जल नमूनाकरण के संबंध में लक्ष्यों का निर्धारण न करना	5.7	54-55
प्रयोगशाला में मैनपावर की कमी	5.8	55-56
फील्ड टेस्टिंग किटों (एफटीके) के उपयोग में कमियां	5.9	56-58
यूरेनियम की उपस्थिति का पता लगाने के लिए परीक्षण सुविधाओं की कमी और उन क्षेत्रों में भारी धातुओं के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण न करना जहां पानी की आपूर्ति जमीन आधारित है	5.10	58-61
सामुदायिक जल उपचार संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) की स्थापना न करने के परिणामस्वरूप निवासी पीने योग्य पानी से वंचित रहे	5.11	61-62
नलकूप आधारित योजना को नहर आधारित योजना में बदलने में विलंब	5.12	62
ओवर हेड टैंकों (ओएचटी)/क्विलर वाटर टैंकों (सीडब्ल्यूटी) की नियमित सफाई नहीं की गई	5.13	62-63
अध्याय-VI		
स्थिरता पर कम जोर और अपर्याप्त निगरानी		
स्थिरता उपायों को तैयार/कार्यान्वित न करना	6.1	65
भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए विभागीय प्रयासों की कमी	6.2	65-66
जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन न करना	6.3	66-67
लोक परिवाद/शिकायतें	6.4	67-68
जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस)	6.5	68
स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के कार्यों के पूर्ण होने में विलंब	6.6	68-69
कार्य के पूर्ण होने में विलंब	6.7	69-70
शहरी स्थानीय निकायों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) का अभाव	6.8	70

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.	ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के विवरण	1.2 एवं 1.3	73-74
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अंतर्गत शहरों और क्षेत्रों के विवरण	1.3	75
3.	कार्यान्वयन एजेंसियों की संगठनात्मक संरचना	1.4 (III)	76
4.	विस्तृत लेखापरीक्षा पद्धति	1.7	77-78
5.	महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण के लिए शामिल किए गए गांवों के विवरण	2.7 (ख)	79
6.	लंबित विद्युत कनेक्शनों के कारण अक्रियाशील नलकूपों के विवरण	2.8	80
7.	बकाया जल प्रभारों के विवरण	3.4.1, 3.4.2 एवं 3.4.3	81
8.	सामुदायिक अंशदान संग्रह के विवरण	3.5	82
9.	फ्लो मीटर लगाकर आपूर्ति की जाने वाली पानी की मात्रा का आकलन	4.1	83-84
10.	आई एंड डब्ल्यूआरडी और भंडारण टैंक क्षमता द्वारा स्वीकृत डिस्चार्ज के आकलन के लिए लेखापरीक्षा पद्धति	4.2 एवं 4.2.2	85
11.	55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पानी की आवश्यकता के विरुद्ध कम स्वीकृत डिस्चार्ज वाले वाटर वर्क्स/मामले	4.2.1	86
12.	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पानी की आवश्यकता के विरुद्ध कम स्वीकृत डिस्चार्ज वाले वाटर वर्क्स/मामले	4.2.1	87-88
13.	भंडारण और अवसादन टैंकों की कम क्षमता वाले मामले जहां पानी की आवश्यकता 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है	4.2.2	89
14.	भंडारण और अवसादन टैंकों की कम क्षमता वाले मामले जहां पानी की आवश्यकता 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है	4.2.2	90-92
15.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में पानी के कनेक्शनों के विवरण	4.5.1	93
16.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और एसआरआई प्रयोगशाला द्वारा प्रतिकूल बैक्टीरियोलॉजिकल जांच रिपोर्ट (टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया)	5.1.1	94
17.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की प्रयोगशाला द्वारा प्रतिकूल भौतिक और रासायनिक जल नमूनाकरण रिपोर्ट	5.1.1	95-96

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
18.	दोनों प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए सामान्य मापदंडों की तुलना	5.1.1	97-102
19.	चयनित जिलों में परीक्षण किए गए पानी के नमूनों के विवरण	5.2	103
20.	जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला में स्टाफ की स्थिति	5.8	104
21.	गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के विवरण	5.11	105
22.	उनकी स्थापना और जल परीक्षण के परिणाम के साथ फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां	5.12	106
23.	स्रोत के स्थानांतरण से संबंधित विलंबित योजनाएं	5.12	107-108
24.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अटेंड किए गए लोक परिवाद/शिकायतों के विवरण	6.4	109
25.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्रोत परीक्षण के विवरण	6.5	110
26.	मंडलवार कार्यों की स्थिति (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)	6.7.1	111
27.	शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के चयनित मंडलों के कार्यों की स्थिति	6.7.2	112-113
28.	विलंबित कार्यों की मंडलवार स्थिति (चयनित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम)	6.7.2	114